

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 मई, 2016

मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी



जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! धरती पर जल मानव सहित सभी जीव-जन्तुओं के लिए जीवनदायक है। यह प्रकृति प्रदत्त अमूल्य निधि है। जल की उपलब्धता पर ही खाद्य सुरक्षा का भविष्य निर्भर है।

देश में बढ़ती आबादी और उसके चहुँमुखी विकास के मद्देनजर जल के उपयोग की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है। भूजल के अत्यधिक दोहन से पानी रसातल में समा रहा है।

इससे जल संकट गहराता जा रहा है। पानी के अपव्यय पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। नतीजतन लोगों के लिए पेयजल, खेती-बाड़ी और उद्योगों की आवश्यकताओं का समाधान करना एक दूर की कौड़ी साबित होता जा रहा है।

जल के मामले में हमारे प्रदेश की स्थिति तो और भी ज्यादा भयावह है। हर साल सूखे से निपटने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकारें नई-नई योजनाएं बनाती हैं। उनमें से ज्यादातर योजनाएं कागजों में ही सिमटकर रह जाती हैं।

वर्षा जल को संरक्षित करने और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए दशकों से अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, लेकिन इनके परिणाम जमीन पर नजर क्यों नहीं आते? आखिर इनके लिए आवंटित धन जाता कहां है?

इस बार अच्छी वर्षा के संकेत हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया जा रहा है। पानी सबके लिए है। अतः अभियान में सभी को योगदान देना होगा। बरसे जल की बूंद-बूंद सहेजकर उसे भूजल के रूप में संग्रहित करना होगा। ध्यान रखें, जनता का पैसा जो राजकोष में आता है वह बेवजह खर्च नहीं हो।

जनता से जुड़े कई विभाग सूचनाएं देने में फिसड़ी



‘सूचना का अधिकार कानून’ के तहत प्रदेश के कई महकमों में अधिकारी जनता को मांगी गई सूचनाएं देने से कतराते हैं। इससे सूचनाएं लेना अपने आप में एक ‘टेढ़ी खीर’ बनता जा रहा है। काफी जूतियां घिसने के बाद भी निर्धारित अवधि में सूचनाएं नहीं मिलने पर लोग ‘राज्य सूचना आयोग’ में दुबारा अपील करते हैं। हालात यह है कि आयोग की ओर से संबंधित विभाग पर पैनल्टी लगाने या उसके खिलाफ कड़ी टिप्पणी करने के बाद ही सूचनाएं मुहैया हो पाती है।

राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को वर्ष 2014-15 में पेश की गई अपीलों की संख्या को देखें तो इनमें सबसे ज्यादा जनता से जुड़े महकमों से सूचनाएं नहीं मिलने की पाई गई हैं। इस अवधि में सूचना आयोग में 14 हजार 167 अपीलें दर्ज हुईं, जिनमें से 1328 अभी भी आयोग में विचाराधीन है।

कानून के तहत नियम यह है कि सूचना लेने के लिए संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होता है। तीस दिन में सूचना नहीं मिलने पर उसकी प्रथम अपील उसी विभाग के अपीलीय अधिकारी से की जाती है। अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी सूचना नहीं देने पर उसकी अपील राज्य सूचना आयोग में की जाती है। यदि राज्य सूचना आयोग भी सूचना दिलाने में असफल साबित होता है तो उसकी अपील दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सूचना आयोग में की जाती है।

खराब बीज से हुआ फसल का नुकसान, किसान को मिलेगा हर्जाना



जयपुर स्थित गांव फुलेरा निवासी किसान कैशाराम चौधरी ने महाराष्ट्र हाईब्रीड कॉरपोरेशन व कंपनी के जयपुर प्रतिनिधि के खिलाफ उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में मंच को बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2001 में परिवादी कंपनी के डीलर से 2200 रुपए के प्याज के बीज खरीदे थे। बीज खरीदते समय डीलर ने उन्हें भरोसा दिया था कि बीज अच्छी गुणवत्ता के हैं। उन्होंने इन बीजों की खेत में बुवाई की और दिसम्बर 2001 में रोपाई का काम कराया। लेकिन अप्रैल 2001 में फसल तैयार होने लगी तो उसमें फूल निकल आए, जिससे उनकी 80 फीसदी फसल खराब हो गई। उन्होंने मंच को बताया कि इससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने परिवादी कंपनी के जयपुर प्रतिनिधि को कम गुणवत्ता युक्त बीज देने का दोषी माना, जिससे किसान कैशाराम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। मंच ने बीज निर्माता कंपनी महाराष्ट्र हाईब्रीड कॉरपोरेशन व कंपनी के जयपुर प्रतिनिधि को आदेश दिया कि वह किसान कैशाराम चौधरी को हुए आर्थिक नुकसान की एवज में एक लाख रुपए का हर्जाना अदा करें। इसके अलावा मंच ने फैसले में यह भी कहा कि परिवादी कंपनी से मुकदमा खर्च की राशि 10 हजार रुपए भी लेने का हकदार है।

राधेश्याम स्वयं सहायता समूह राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित

नाबार्ड के सहयोग से ‘कट्स’ मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा गठित राधेश्याम स्वयं सहायता समूह को वर्ष 2014-15 के लिए राज्य स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में नाबार्ड जयपुर की मुख्य महाप्रबंधक सरीता अरोरा से समूह की अध्यक्ष बदामबाई गाड़ी लौहार व देउबाई गाड़ी लौहार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।

अहिंसा नगर गाड़ी लौहार बस्ती (औछड़ी) में वर्ष 2008 में गठित इस समूह की महिलाओं ने बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रतापनगर शाखा से सस्ते ब्याज पर पांच लाख रुपए का ऋण लेकर लोहे के औजार बनाने की हम्मबर मशीन लगाई है और अपने पुश्तैनी कारोबार को बढ़ाया है। इससे उनकी आमदनी में अच्छा इजाफा हुआ है। इस समूह से एक सौ से भी ज्यादा गाड़ी लौहार परिवार की महिलाएं जुड़ी हुई है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं।



बीज निगम से किसानों का मोहभंग

राजस्थान बीज निगम की ओर से कुछ मात्रा में बीज किसानों से तैयार कराया जाता है, लेकिन बड़ी मात्रा में बीज दूसरे राज्यों से मंगवाया जाता है।

बाहर से मंगवाए गए बीज की गुणवत्ता की कमी के चलते

इसका सीधा नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है। किसानों का मानना है कि बाहर से आने वाले बीज की गुणवत्ता की जांच में मिलीभगत का खेल चल रहा है। इससे बीज निगम से किसानों का मोहभंग हुआ है।

नहीं बंट रहा फोर्टिफाइड आटा

प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए पांच प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त फोर्टिफाइड आटा उपलब्ध कराने की मुख्यमंत्री की घोषणा अधर में ही उलझकर रह गई।

कहा जा रहा है कि गेहूं की पिसाई व आटे को फोर्टिफाइड करने में ढाई रुपए का खर्च आता है। इससे दो रुपए किलो दिए जा रहे गेहूं की बजाय आटे की कीमत साढ़े चार रुपए किलो बैठती है। गेहूं खरीदने वाले लोगों को यह बढ़ी कीमत मंजूर नहीं होगी।

अभी पानी नहीं होगा महंगा

प्रदेश में एक अप्रैल से बढ़ने वाली पेयजल की दरें अभी नहीं बढ़ेंगी। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री किरण माहेश्वरी ने यह घोषणा की है। राज्य सरकार ने 17 साल बाद नवंबर 2015 में पेयजल की दरें बढ़ाई थीं। इस साल पेयजल में दस फीसदी वृद्धि एक अप्रैल से होनी प्रस्तावित थी।

इसे अब अप्रैल 2017 तक टाल दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हर विधान सभा क्षेत्र में इस साल संभावित ग्राम व ढाणियों में 5-5 सौर ऊर्जा आधारित नलकूपों की स्थापना की जाएगी। इससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा।

पानी सहेजने पर पंचायतें होगी पुरस्कृत

वर्षा जल के संचय को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री किरण माहेश्वरी ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार



के तौर पर पांच लाख रुपए, द्वितीय को तीन लाख रुपए और तृतीय को दो लाख रुपए देने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भूजल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शुरू किया है, वहीं सतही पेयजल स्रोतों पर आधारित योजनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।

सीमांत किसानों को 30 फीसदी ऋण

प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 30 प्रतिशत ऋण देगी। इसके लिए सरकार ने अल्पकालीन फसली सहकारी साख नीति जारी कर दी है।

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ऋण राशि काश्तकार के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। नई फसली सहकारी ऋण नीति में कम से कम 30 प्रतिशत ऋण लघु व सीमांत किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्राम पंचायतों की आमदनी पर ताला

राज्य सरकार अगर ग्राम पंचायतों के खुद के आमदनी के स्रोतों पर लगे ताले खोल दें तो ग्राम पंचायतें अपना आधा विकास खुद ही कर सकती है। ग्राम पंचायतों के खुद के आमदनी के स्रोत (जैसे खनन रॉयल्टी, पट्टे जारी करना, कृषि भूमि की रजिस्ट्री आदि) तकरीबन समाप्त हो चुके हैं और नए स्रोत के प्रस्ताव फाइलों में दबे पड़े हैं।

आर्थिक तंगी मिटाने के लिए खुद ग्राम पंचायतें आमदनी स्रोत तलाश चुकी है लेकिन विभाग मंजूरी को लेकर केन्द्र-राज्य की कश्मकश में फंसा है।

‘स्टैंड अप इंडिया’ का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना शुरू की है। योजना के तहत देशभर में फैली



बैंकों की सवा लाख शाखाएं अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग के उद्यमियों को कारोबार के लिए एक करोड़ रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराएंगी। योजना कार्यक्रम का तौर-तरीका समझाते हुए उन्होंने कहा कि इससे देशभर में नए उद्यमी पैदा होंगे। हर बैंक शाखा को नया उपक्रम लगाने के लिए 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक के कम से कम दो ऋण बिना कुछ गिरवी रखे देने होंगे। यह योजना दलित से लेकर आदिवासी समुदाय तक लोगों का जीवन बदल देगी। इससे नौकरी ढूँढने वाले, नौकरी देने वाले बन सकेंगे।

पंचायतों को केन्द्र से मिलेगा धन

ग्राम पंचायतों को अब केन्द्र सीधे पैसे भेजेगा। इस राशि को सरपंच बिना किसी बाहरी दखल के सड़क, पानी, शौचालय व बिजली जैसे विकास कार्यों के लिए खर्च कर सकेंगे। फैसले को केबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। राशि जनसंख्या के हिसाब से सालाना 20 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक दी जाएगी। इस फैसले से राजस्थान की 4894 ग्राम पंचायतों को फायदा होगा।



जरूरी है पानी की सुरक्षा

वर्षा ऋतु आने वाली है। प्रदेश में पानी की सुरक्षा जरूरी है। धरती में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रदेश के हर घर में वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगे, ताकि लोगों को पानी की कमी से न जूझना पड़े। जल संरक्षण के लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है।

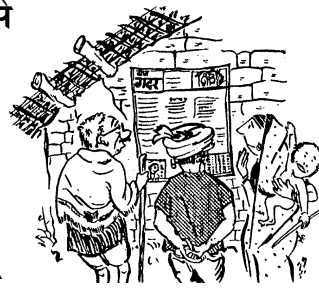
सरकार को बढ़ती आबादी, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ नए नियम लागू करने चाहिए जिससे लोग पानी की बचत करें, इसे व्यर्थ नहीं बहाए। -नानग राम, सीकर

‘ग्राम गदर’ पत्रकारिता

पुरस्कार की घोषणा

जैसा कि विदित है ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष ‘ग्राम गदर’ ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है।

इसी क्रम में इस साल ‘स्वच्छ भारत अभियान’ विषय पर प्रविष्टियाँ



आमन्त्रित की गई। प्राप्त प्रविष्टियों में से निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से जयपुर जिले के पत्रकार गिराज शर्मा को वर्ष 2015 के लिए ‘ग्राम गदर’ ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।

गिराज शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा जयपुर स्थित गोनेर रोड निवासी हैं तथा प्रतिष्ठित हिन्दी समाचार पत्र डेली न्यूज में वरिष्ठ उपसंपादक पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने ‘स्वच्छ भारत अभियान’ पर डेली न्यूज समाचार पत्र में बहुत सी स्टोरियां प्रकाशित कर एवं उनका फालोअप करते हुए आमजन में जागरूकता लाने का प्रयास किया है। शर्मा को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

पालनहार योजना का मिलेगा लाभ

प्रदेशभर में अनाथ बच्चों की पूरी जानकारी नहीं होने से पालनहार योजना केवल कागजों में ही दबकर रह गई है।

प्रदेश की कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस बारे में राज्य सरकार को अवगत कराया है। इसके बाद सरकार ने इस बात को गंभीर माना है। अब सरकार ने योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर सर्वे कराने का निर्णय लिया है।

इन बच्चों के स्कूल दाखिले का जिम्मा शिक्षा विभाग लेगा और पालनहार योजना का लाभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देगा।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता

मामले मंत्रालय के सौजन्य से ‘कट्स’ इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।



आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)

डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395